न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 51/2023 GCMS No.—2022/59
पूर्व दर्ज नंबर 03/2022
मनभर देवी पत्नी श्री शंकरलाल मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम दौलतपुरा, गुसार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र श्री नाथू, जाति मीना,
2. धन्ना पुत्र श्री कालू जाति मीना, निवासी दौलतपुरा गुस्सार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) भू आवंटन अधिनियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 21.08.1978 मिसल संख्या 483/1978 ग्राम दौलतपुरा गुस्सार में कृषि प्रयाजनार्थ भूमि नियमन/आवंटन आदेश पारित किया गया के विरूद्ध।

———————

उपस्थितः–
1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति (उप जिलाधीश आमेर) के आदेश दिनांक 21.08.1978 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नाथू पुत्र चन्दा जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ को ग्राम दौलतपुरा स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 90 में से रकबा 6 बीघा का आवंटन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.03.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन चौधरी उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर से मूल आवंटन पत्रावली नहीं मिलना जरिये जाहिर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 महादेव पुत्र भोमा द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर साबिक खसरा नंबर 90 में से 6 बीघा भूमि का आवंटन करवा लिया जो कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी भूमि के समीप एवं सीमा जोड भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 ने खातेदारी भूमि की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

गलत तरमीम करवाकर गलत रूप से नक्शे में दर्ज करवा ली गयी। अप्रार्थी को ग्राम दौलतपुरा हाल तहसील आंधी स्थित भूमि खसरा नंबर 90 हाल खसरा नंबर 248, 249 आवंटित किया गया एवं आवंटित पत्रावली में जो नक्शा प्रस्तुत है वह वर्तमान नक्शे से मेल नहीं खाता है एवं साबिक खसरा नंबर 93 की तरमीम आज दिनांक तक भू राजस्व एवं भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा नक्शे में नहीं की गयी है ना ही भूमि के नक्शे में तरमीम के संबंधित दस्तावेज भू राजस्व कार्यालय में मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 93 का मनमर्जी से वर्तमान खसरा नंबर 260, 246 के नक्शे में तरमीम करवा लिया। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 255 व 259/8 के समीप ही वादग्रस्त भूमि है। आवंटन समिति द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व न तो मौके पर जांच की गयी एव ना ही प्रकरण में किसी व्यक्ति को नोटिस जारी कर आपत्ति मांगी गयी एवं प्रार्थी या प्रार्थी के पिता को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन नियमों के विपरीत जाकर आवंटित भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के पूर्वजो के समय से चले आ रहे रास्ते को बन्द करना चाहते है। उक्त आवंटन समिति के नियमों के अनुसार नाथू पुत्र चंदा के तीन बीघा 17 बिस्वा भूमि का वह मालिक था इस प्रकार नाथू के भूमिहीन नहीं होने के बावजूद उसको किया गया भूमि आवंटन निरस्त योग्य हे। अप्रार्थी को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे की नकल लेने पर पता चला कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के समीप की भूमि पर तरमीम करवा ली गयी है एवं आवंटी द्वारा भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है। इसके पश्चात प्रार्थी ने अविलम्ब आवंटन पत्रावली की नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन आवेदन प्रार्थना पत्र पर ना तो गवाह के हस्ताक्षर है ना ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई शपथ प्रस्तुत किया गया है कि आवंटनशुदा व्यक्ति महादेव पुत्र भोमा भूमिहीन व्यक्ति हो। आवंटन भूमि के संबंध में रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं आवंटन की कार्यवाही पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन तत्कालीन सरकार द्वारा अंत्योदय योजना के अनुसार किया गया था जिसके तहत आवंटित की गयी भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान नहीं किया जा सकता था। इस कारण भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाथू पुत्र चन्दा जाति मीना के हक में दिनांक 21.08.1978 को ग्राम दौलतपुरा, तहसील जवारामगढ हाल तहसील आंधी स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 90 रकबा 6 बीघा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थीगणों के पिता स्व. नाथू के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। अप्राथी संख्या 2 ने दिनांक 27.02.1999 जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूमि को क्रय किया है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 का ही भूमि पर काबिज काश्त है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

रहे है। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटी को सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया तथा आवंटन के समय ही आंवटित कृषि भूमि का कब्जा आंवटी को सुपुर्द कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अप्रार्थीगणो को हैरान परेशान की नियत से पेश किया अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT 383 High court, 2011(2) RRT 1205 Raj. High court, 2011(2) RBJ1995 page 1080 Raj high court, RRT 2019(2) Page 399** आदि पेश किये गये।

विद्धान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रकरण में आवंटी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटी स्व. नाथू पुत्र चन्दा निवासी ग्राम दौलतपुरा को ग्राम दौलतपुरा, हाल तहसील आंधी के आराजी खसरा नंबर 90 में 6 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 248, 249 रकबा 1.52 हैक्टेयर है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खसरा नंबर 248, 249 कुल रकबा 1.52 है0 किस्म बारानी–3 अप्रार्थी संख्या 2 धन्ना पुत्र कालू जाति मीना के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में आवंटी को तत्समय आवंटित भूमि की किस्म बारानी थी एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी बारानी अंकित है तथा आवंटी स्व. नाथू /उसके वारिसान को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये जिसके पश्चात उन्होनें अपनी आवंटित भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी स्व. नाथू के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए ग्राम दौलतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 90 में 6 बीघा I का आवंटन स्व.नाथू पुत्र चन्दा के हक में किया। आवंटन पत्रावली पर सरपंच ग्राम पंचायत धर्मपुरा के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर है। आवंटन पश्चात स्व. नाथू को कब्जा दिये जाने संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध है। 2011(1) **RRT 383** राजस्थान हाई कोर्ट में अभिलिखित है कि आवंटन के 30 वर्ष बाद आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया गया वर्ष 1968 में भूमि आवंटित की गयी निचले न्यायालयों ने इतने लम्बे विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करने से इन्कार किया, निर्णीत, आदेशों में त्रुटि नहीं है। **2011(2) RRT 1205** राज. उच्च न्यायालय में अभिलिखित है कि आवंटन के 40 वर्ष बाद आवेदन पेश किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु मामला नहीं पाया और आवेदन खारिज किया गया–निर्णीत, आदेश में अधिकारिता की त्रुटि नहीं है। **Accordgin RBJ 1995(2) Page 1080 After Conferment of khatedari Rights, Allotment cannot be cancelled.**

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद तरमीम शुद्वि एवं नक्शा दुरूस्ती का है इस बाबत न्यायालय हाजा को श्रवण क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। प्रार्थी तरमीम शुद्वि एवं नक्शा दुरूस्ती बाबत सक्षम स्तर पर चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्र/आक्षेप उचित प्रतीत नहीं होते है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भूमि का विक्रय किये जाने के कारण तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर